

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिताएँ/पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएँ

1. हिंदी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

ये तीनों अलग-अलग प्रतियोगिताएँ होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है और योग्यता क्रम में तीन कर्मचारियों को सांत्वना (प्रोत्साहन) पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पुरस्कार राशि का एक चौथाई पुस्तक के रूप में और शेष नकद देने का प्रावधान है। पुरस्कार राशि निम्नवत है-

	<u>क्षेत्रीय स्तर</u>	<u>अखिल रेल स्तर</u>
प्रथम पुरस्कार	₹ 2000/-	₹ 3000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 1600/-	₹ 2500/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 1200/-	₹ 2000/-
सांत्वना/प्रोत्साहन पुरस्कार	₹ 800/-(तीन)	₹ 1500/-(पाँच)

- 1) इन तीनों प्रतियोगिताओं में हिंदी और अहिंदी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकेंगे। केवल 'ग' क्षेत्र के अहिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक अधिमान अंक के रूप में दिए जाएँगे।
- 2) टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में कार्यालयों में नित किए जाने वाले कार्यों जैसे- पत्राचार के मसौदे, टिप्पणी की प्रस्तुति, पदनाम संक्षिप्तियाँ, अंग्रेजी/हिंदी शब्दों के पर्याय, अनुवाद आदि पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

2. रेलवे बाड को व्यक्तिगत नकद पुरस्कार

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना संपूर्ण कार्यालयी कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में ही निष्पादित करने पर उनका नाम विभागाध्यक्ष द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जाता है। उन्हें अखिल रेल स्तर पर ₹ 300/- का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक रेलवे का कोटा निर्धारित है। पूर्वोत्तर रेल के लिए कुल 4 (चार) पुरस्कार प्रत्येक मंडल से एक-एक एवं मुख्यालय से एक अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाता है।

3. सरकारो कामकाज (टिप्पण आलेखन) मलरूप स हिंदी मं करन क लिए पात्साहन याजना (20/10 हजार शब्दां वालो याजना)

इस योजना के अंतर्गत रेल कार्यालयों में हिंदी और हिंदीतर अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 20/10 हजार शब्द हिंदी में फाइलों पर टिप्पणी, प्रारूप आदि के रूप में लिखने के आधार पर नकद पुरस्कार की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाता है जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना रिकार्ड रखते हैं। जो कर्मचारी वर्ष में 20/10 हजार शब्दों से अधिक हिंदी में लिखते हैं उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किया जाता है-

मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

प्रथम पुरस्कार(दो)	₹5000/-
द्वितीय पुरस्कार(तीन)	₹3000/-
तृतीय पुरस्कार(पाँच)	₹2000/-

4. अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दन संबंधी पुरस्कार याजना

1) रेल कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को बोर्ड द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रेल कार्यालय से रेल अधिकारियों को ₹5000-5000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

2) इस योजना की अवधि कैलेंडर वर्ष है।

3) योजना में भाग लेने वाले अधिकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड रखेंगे। यह रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं।

4) केवल वे अधिकारी इस पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष कम से कम 20,000 शब्द डिक्टेशन देंगे। अहिंदी भाषी अधिकारी के लिए यह मात्र 10,000 शब्दों की प्रतिवर्ष होगी।

5. सामूहिक नकद पुरस्कार याजना

रेलवे बोर्ड द्वारा रेल कार्यालयों में हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना प्रचारित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ प्रथम 03 स्थान पाने वाले विभाग/मंडल/कारखाना को निम्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है:

पुरस्कार राशि एवं प्राप्तकर्ताओं की संख्या

प्रथम पुरस्कार (विभाग के लिए) ₹9000 x 6 द्वितीय पुरस्कार (मंडल के लिए) ₹6000 x 5 तृतीय पुरस्कार (कारखाने के लिए) ₹4000 x 5

6. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता

1) इस प्रतियोगिता में सभी राजपत्रित अधिकारी/अराजपत्रित कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

2) निबंध 'रेल कार्य संचालन एवं प्रबंधन' से संबंधित किसी विषय पर होना चाहिए और 5000 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

3) निबंध प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में कार्मिकों से आमंत्रित किया जाता है।

4) इसमें राजपत्रित के लिए 02 एवं अराजपत्रित के लिए 02 पुरस्कार दिए जाते हैं-

	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
राजपत्रित अधिकारी	₹ 6000/-	₹ 4000/-
अराजपत्रित कर्मचारी	₹ 6000/-	₹ 4000/-

7. मौलिक लेखन पुरस्कार याजना

7.1 राजभाषा गारव पुरस्कार याजना-इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सहित बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वितीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लेखन के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार दिए जाते हैं। अनूदित पुस्तकें/ पूर्व पुरस्कृत पुस्तकें स्वीकार्य/पात्र नहीं होंगे।

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹ 60,000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 45,000/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 30,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार	₹ 15,000/-

7.2 मथिलोशरण गुप्त पुरस्कार याचना

यह पुरस्कार मौलिक रूप से काव्य/गजल संग्रह के लिखने के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है-

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 7,000/-

इस योजना के अंतर्गत पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए।

7.3 पमचंद पुरस्कार याचना

कथा संग्रह एवं उपन्यास के लिए प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है-

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 7,000/-

इस योजना के अंतर्गत पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए।

7.4 लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मालिक लखन पुरस्कार याचना

इस योजना के अंतर्गत रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किया जाता है-

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 7,000/-

इस योजना के अंतर्गत पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए।

7.5 रेल यात्रा-वृत्तांत पुरस्कार

रेलकर्मियों सहित जनसाधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने और उन अनुभवों के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की रेल यात्रा-वृत्तांतों पर पुरस्कार योजना अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम प्रथम तीन वृत्तांतों के विजेता को निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है-

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹ 10,000/-
द्वितीय पुरस्कार	₹ 8,000/-
तृतीय पुरस्कार	₹ 6,000/-
सात्वना पुरस्कार(पांच)	₹ 4,000/-प्रत्येक को

8. अधिकारियों का हिंदी पदक से सम्मानित करना

क्षेत्रीय रेलवे में कैलेंडर वर्ष के दौरान महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या इससे ऊपर के अधिकारियों को जिनका अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान रहा हो तथा जो स्वयं तो शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करते हों साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हों, उन्हें क्रमशः 'कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक' तथा 'रेल मंत्री राजभाषा पदक' से सम्मानित किया जाता है।

9. राजभाषा शील्ड/ट्राफी

राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करने वाले 'क' 'ख' क्षेत्र के क्षेत्रीय रेल को एवं मंडल को रेलमंत्री राजभाषा शील्ड/ट्राफी प्रदान किया जाता है।

ये पुरस्कार आदर्श रेल, आदर्श मंडल, आदर्श स्टेशन एवं आदर्श कारखाने के लिए दिए जाते हैं।

10. हिंदी शिक्षण याजना क अंतर्गत पात्साहन भत्ता

ऐसे अंग्रेजी के आशुलिपिकों व टंककों को जो अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी निर्धारित मात्रा में सरकारी काम-काज करते हैं, को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप निम्नलिखित राशि प्रति माह प्रदान किए जाते हैं-

आशुलिपिकों को - ₹ 240/-

टंककों को - ₹ 160/-

साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त/पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें एक वर्ष तक वैयक्तिक वेतन भी प्रदान किया जाता है।

11. अंशकालिक हिंदी ग्रंथालयों का मानदय

रेलों पर स्थापित हिंदी पुस्तकालयों में कार्यरत अंशकालिक ग्रंथालयी को पारिश्रमिक स्वरूप (मानदेय) ₹ 500/- की राशि दी जाती है।

12. हिंदी शिक्षण याजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन नकद पुरस्कार की राशि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार निम्नलिखित हैं-

12.1 हिंदी भाषा पशिक्षण

एकमुशत पुरस्कार की राशि

प्रबोध

- (क) 70%या इससे अधिक अंक ₹ 1600/-
प्राप्त करने पर
- (ख) 60%या इससे अधिक परंतु 70% ₹ 800/-
से कम अंक प्राप्त करने पर
- (ग) 55%या इससे अधिक परंतु 60% ₹ 400/-
से कम अंक प्राप्त करने पर

प्रवीण

- (क) 70% या इससे अधिक अंक ₹ 1800/-
प्राप्त करने पर
- (ख) 60% या इससे अधिक परंतु 70% ₹ 1200/-
से कम अंक प्राप्त करने पर
- (ग) 55% या इससे अधिक परंतु 60% ₹ 600/-
से कम अंक प्राप्त करने पर?

प्राज्ञ

- (क) 70% या इससे अधिक अंक ₹ 2,400/-
प्राप्त करने पर
- (ख) 60% या इससे अधिक परंतु 70% ₹ 1,600/-
से कम अंक प्राप्त करने पर
- (ग) 55% या इससे अधिक परंतु 60% ₹ 800/-
से कम अंक प्राप्त करने पर

12.2 हिंदी टंकण

- (क) 97% या इससे अधिक अंक ₹ 2,400/-
प्राप्त करने पर
- (ख) 95% या इससे अधिक परंतु 97% ₹ 1,600/-
से कम अंक प्राप्त करने पर
- (ग) 90% या इससे अधिक परंतु 95% ₹ 800/-
से कम अंक प्राप्त करने पर

12.3 हिंदी आशुलिपि

- (क) 95% या इससे अधिक अंक ₹ 2,400/-
प्राप्त करने पर
- (ख) 92% या इससे अधिक परंतु 95% ₹ 1,600/-
से कम अंक प्राप्त करने पर
- (ग) 88% या इससे अधिक परंतु 92% ₹ 8,00/-
से कम अंक प्राप्त करने पर

12.4 निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार-

एकमुश्त पुरस्कार की राशि

1. हिंदी शिक्षण योजना की **प्रबोध** परीक्षा ₹ 1,600/-
2. हिंदी शिक्षण योजना की **प्रवीण** परीक्षा ₹ 1,500/-
3. हिंदी शिक्षण योजना की **प्राज्ञ** परीक्षा ₹ 2,400/-
4. हिंदी शिक्षण योजना की **टंकण** परीक्षा ₹ 1,600/-
5. हिंदी शिक्षण योजना की **आशुलिपि** परीक्षा ₹ 2,400/-

13. राजभाषा कोटि राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मालिक

पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

पुरस्कार	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न)
द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न)
तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न)
सात्वना पुरस्कार (दस)	₹ 10,000/- (प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न)

नोट- पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर हो सकती है, जैसे-

(I) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

(II) सम-सामयिक विषय जैसे- उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि।

इस योजना के अंतर्गत **पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं** होनी चाहिए।

विषय: एक भारत श्रष्ट भारत विषय पर क्षेत्रीय आर अखिल रल स्तर पर
हिंदी मं निबंध, वाक् तथा काव्य पाठ पतियागिताओं का आयाजन

अखिल स्तर पर

पुरस्कार	निबंध प्रतियोगिता	वाक् प्रतियोगिता	काव्य पाठ प्रतियोगिता
प्रथम (एक)	रू. 7000/-	रू. 7000/-	रू. 7000/- एवं प्रमाण पत्र
द्वितीय (एक)	रू. 5000/-	रू. 5000/-	रू. 5000/- एवं प्रमाण पत्र
तृतीय (एक)	रू. 4000/-	रू. 4000/-	रू. 4000/- एवं प्रमाण पत्र

क्षेत्रीय स्तर पर

पुरस्कार	निबंध प्रतियोगिता	वाक् प्रतियोगिता	काव्य पाठ प्रतियोगिता
प्रथम (एक)	रू. 5000/-	रू. 5000/-	रू. 5000/- एवं प्रमाण पत्र
द्वितीय (एक)	रू. 4000/-	रू. 4000/-	रू. 4000/- एवं प्रमाण पत्र
तृतीय (एक)	रू. 3000/-	रू. 3000/-	रू. 3000/- एवं प्रमाण पत्र

मार्गदर्शी सिद्धांत

1. रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम तथा रेलवे बोर्ड कार्यालय को अलग-अलग इकाई माना जाएगा।
2. इन प्रतियोगिताओं में कोई भी रेल कर्मचारी/अधिकारी भाग ले सकता है।
3. ये प्रतियोगिताएँ पहले क्षेत्रीय स्तर पर रेलों के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाएँगी जिनमें प्रत्येक मंडल/अधीनस्थ कार्यालय के कर्मचारी भाग लेंगे।
4. अखिल स्तर की प्रतियोगिताओं में केवल वे कर्मचारी/अधिकारी भाग ले सकेंगे जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
5. अखिल/क्षेत्रीय स्तर की तीनों प्रतियोगिताओं में से किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रतियोगी को पुनः एक वर्ष के बाद ही, उस प्रतियोगिता विशेष में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन किसी अन्य प्रतियोगिता में उसे भाग लेने की छूट होगी।
6. क्षेत्रीय/अखिल स्तर पर आयोजित उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को निर्धारित पुरस्कार राशि देय होगी।
7. वाक् प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को 5-7 मिनट का समय दिया जाएगा। उसी स्थल एवं समय पर लिखे जाने वाले निबंध के लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। निबंध के लिए शब्दों की अधिकतम सीमा 2000 निर्धारित है।
8. वाक् प्रतियोगिता के लिए तीन निर्णायक होंगे। अखिल रेल प्रतियोगिताएँ किसी क्षेत्रीय रेल पर आयोजित होने की स्थिति में दो निर्णायक संबंधित रेल प्रशासन से नियुक्त किए जाएँगे तथा एक सदस्य रेलवे बोर्ड का होगा।
9. काव्य पाठ प्रतियोगिता में 5-7 मिनट का समय दिया जाएगा।
10. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रेल कर्मियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।
11. इन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र पाने वाले प्रतियोगियों की सेवा पंजियों में तत्संबंधी आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएँगी।